इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त 2021—भाद्र 5, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2021

क्र. 10902-257-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 अगस्त 2021 को महामिहम राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०२१

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम , २०२१

विषय-वस्तु

धाराएं :

- १. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
- २. धारा ७ का संशोधन.
- ३. धारा १६ का संशोधन.
- ४. धारा ३५ का संशोधन.
- ५. धारा ४४ का स्थापन.
- ६. धारा ५० का संशोधन.
- ७. धारा ७४ का संशोधन.
- ८. धारा ७५ का संशोधन.
- ९. धारा ८३ का संशोधन.
- १०. धारा १०७ का संशोधन.
- ११. धारा १२९ का संशोधन.
- १२. धारा १३० का संशोधन.
- १३. धारा १५१ का स्थापन.
- १४. धारा १५२ का संशोधन.
- १५. अनुसूची २ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०२१

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२१

[दिनांक २६ अगस्त २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)''में दिनांक २७ अगस्त, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२१.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(२) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ७ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए और १ जुलाई, २०१७ से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

धारा ७ का संशोधन.

''(कक) किसी व्यक्ति से भिन्न, अन्य व्यक्ति द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, उसके सदस्यों या घटकों या इसके विपरीत क्रम में कोई क्रियाकलाप या इस्तांतरण.

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजन के लिए, एतदूद्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो अलग– अलग व्यक्ति समझा जाएगा और उनके मध्य परस्पर गतिविधियां या संव्यवहार का प्रदाय ऐसे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य होना समझा जाएगा.

३. मूल अधिनियम की धारा १६ में, उपधारा (२) में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

धारा १६ का संशोधन.

- ''(कक) आपूर्तिकर्ता द्वारा खंड (क) में निर्दिष्ट इनवॉइस या डेबिट नोट का विवरण आउटवर्ड आपूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किया गया है और ऐसे विवरण ऐसे इनवॉइस या डेबिट नोट के प्राप्तकर्ता को धारा ३७ के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में, सूचित किए गए हैं.''.
- ४. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, उपधारा (५) का लोप किया जाए.

धारा ३५ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ४४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:--

धारा ४४ का संशोधन.

"४४. इनपुट सेवा वितरक, धारा ५१ या धारा ५२ के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए इलेक्ट्रोनिक रूप से, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरणियों में घोषित प्रदायों के मूल्य का संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलान करते हुए, एक स्वसत्यापित समाधान विवरण सिम्मिलित है:

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा, किसी वर्ग या रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने से छूट दे सकेगा:

परन्तु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग पर लागू नहीं होगी, जिनकी लेखा बहियां भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकरणों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन हैं.''.

धारा ५० का ६. मूल अधिनियम की धारा ५० में, उप-धारा (१) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित संशोधन. किया जाए और १ जुलाई, २०१७ से स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु किसी कर अविध के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा ३९ के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अविध के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी को उक्त अविध के संबंध में धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर देय होगा जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से विकलित कर किया जाता है.".

धारा ७४ का ७. मूल अधिनियम की धारा ७४ में, स्पष्टीकरण १ में, खण्ड (दो) में, शब्द और अंक ''धारा १२२, १२५, संशोधन. १२९ और १३० के स्थान पर, शब्द और अंक ''धारा १२२ और १२५'' स्थापित किए जाएं.

धारा ७५ का ८. मूल अधिनियम की धारा ७५ में, उपधारा (१२) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाए, संशोधन. अर्थात्:—

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, पद ''स्वत: निर्धारित कर'' में धारा ३७ के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में देय कर सम्मिलत है किन्तु धारा ३९ के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी में सम्मिलत नहीं है.''.

धारा ८३ का ९. मूल अधिनियम की धारा ८३ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, संशोधन. अर्थात्:—

"(१) जहां, अध्याय १२, अध्याय १४ या अध्याय १५ के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ होने के पश्चात्, आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति या धारा १२२ की उपधारा (१क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, को ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, कुर्क कर सकेगा.".

धारा १०७ का १०. मूल अधिनियम की धारा १०७ में, उपधारा (६) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया संशोधन. जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परंतु यह कि धारा १२९ की उपधारा (३) के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलार्थी द्वारा शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता.''.

११. मूल अधिनियम की धारा १२९ में,---

धारा १२९ का संशोधन.

- (एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात:—
 - ''(क) ऐसे माल पर देय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर, और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;
 - (ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत अथवा ऐसे माल पर देय कर के दो सौ प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के बराबर शास्ति के संदाय पर, और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;";
- (दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए;
- (तीन) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात:-
 - "(३) माल की अभिरक्षा या अभिग्रहण या प्रवहण करने वाला समुचित अधिकारी संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए, ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के सात दिवस के भीतर नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात्, उपधारा (१) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए, ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से सात दिवस की कालाविध के भीतर आदेश पारित करेगा.":
- (चार) उपधारा (४) में, शब्द ''कर, ब्याज या शास्ति'' के स्थान पर, शब्द ''शास्ति'' स्थापित किया जाए:
- (पांच) उपधारा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात:-
 - ''(६) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी, उपधारा (३) के अधीन पारित आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, उपधारा (१) के अधीन रकम या शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है, इस प्रकार अभिरक्षित या अभिग्रहीत माल या प्रवहण उपधारा (३) के अधीन देय शास्ति वसूल करने के लिए, ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जैसा कि विहित किया जाए, विक्रय या अन्यथा व्ययन का दायी होगा:
 - परन्तु प्रवहण, उपधारा (३) के अधीन शास्ति अथवा एक लाख रुपए, जो भी कम हो, का परिवाहक द्वारा संदाय किए जाने पर मुक्त किया जाएगा:
 - परन्तु यह और कि जहां अभिरक्षा या अभिग्रहण का माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या खतरनाक या समय के साथ मूल्य में ह्यस की प्रकृति का है तो उक्त पंद्रह दिवस की अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी.

धारा १३० का संशोधन.

- १२. मूल अधिनियम की धारा १३० में,—
 - (एक) उपधारा (१) में, शब्द ''इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि'' के स्थान पर, शब्द ''जहां'' स्थापित किया जाए;
 - (दो) उपधारा (२) में, द्वितीय परन्तुक में, शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा १२९ की उपधारा (१) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम" के स्थान पर, शब्द "ऐसे माल पर देय कर की सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति" स्थापित किए जाएं;
 - (तीन) उपधारा (३) का लोप किया जाए.

धारा १५१ का स्थापन १३. मूल अधिनियम की धारा १५१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

जानकारी मांगने की शक्ति.

''१५१. आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को इस अधिनियम से संबंधित किसी मामले के संबंध में जानकारी, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दे सकेगा.''.

धारा १५२ का संशोधन.

- १४. मूल अधिनियम की धारा १५२ में,—
 - (एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-
 - "(१) धारा १५० या धारा १५१ के प्रयोजनों के लिए दिए गए किसी मामले के संबंध में सूचना, संबंधित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित में पूर्व सहमित के बिना ऐसी रीति में प्रकाशित नहीं की जाएगी तािक विशिष्ट व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियों की पहचान हेतु समर्थ बना सके और ऐसी सूचना संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना इस अधिनियम के अधीन किन्हीं प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएंगी.";
 - (दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए.

अनुसूची २ का १५. मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, पैरा ७ का लोप किया जाए और १ जुलाई, २०१७ से विलोपित संशोधन. किया गया समझा जाए.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2021

क्र. 10902-257-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 21 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 of 2021

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2021 TABLE OF CONTENTS

Sections:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Amendment of Section 7.
- Amendment of Section 16.
- 4. Amendment of Section 35.
- 5. Substitution of Section 44.
- 6. Amendment of Section 50.
- 7. Amendment of Section 74.
- 8. Amendment of Section 75.
- 9. Amendment of Section 83.
- Amendment of Section 107.
- 11. Amendment of Section 129.
- 12. Amendment of Section 130.
- 13. Substitution of Section 151.
- 14. Amendment of Section 152.
- 15. Amendment of Schedule II.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 of 2021

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2021

[Received the assent of the Governor on the 26th August, 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th August, 2021].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021.

Short title and commencement.

(2) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force from such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. In Section 7 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1), after clause (a), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

Amendment of section 7.

"(aa) the activities or transactions, by a person, other than an individual, to its members or constituents or vice versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration.

Explanation.—For the purpose of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions interse shall be deemed to take place from one such person to another;".

Amendment of Section 16.

- 3. In Section 16 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;".

Amendment of Section 35.

4. In Section 35 of the principal Act, sub-section (5) shall de deleted.

Substitution of Section 44.

5. For Section 44 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Annual return.

- "44. Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or Section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be precribed:
- Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class or registered persons from filing annual return under this Section:
 - Provided further that nothing contained in this Section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force."

Amendment of Section 50.

- 6. In Section 50 of the principal Act, in sub-section (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—
- Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of Section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or Section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger."

Amendment of Section 74.

7. In Section 74 of the principal Act, in Explanation 1, in clause (ii), for the words and figures "Section 122,125,129 and 130", the words and figures "Section 122 and 125" shall be substituted.

Amendment of Section 75.

8. In Section 75 of the principal Act, in sub-section (12), the following Explanation shall be inserted, namely:—

- **Explanation.** For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under Section 39.".
- 9. In Section 83 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

Amendment of Section 83.

- "(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of Section 122, in such manner as may be prescribed."
- 10. In Section 107 of the principal Act, in sub-section (6), for full stop, colan shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 107.

- "Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of Section 129, unless a sum equal to twenty-five per cent of the penalty has been paid by the appellant.".
- 11. In Section 129 of the principal Act,-

Amendment of Section 129.

- (i) in sub-section (1), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—
 - "(a) on payment of penalty equal to two hundred per cent of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;
 - (b) on payment of penalty equal to fifty per cent of the value of the goods or two hundred per cent of the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five per cent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;";
- (ii) sub-section (2) shall be deleted;
- (iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or clause (b) of sub-section (1).";

- (iv) in sub-section (4), for the words "No tax, interest or penalty", the words "No penalty" shall be substituted; (v) for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely:— "(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount or penalty under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (3):
- Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less:
- Provided further that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.".

Amendment of Section 130.

- 12. In Section 130 of the principal Act,-
 - (i) in sub-section (1), for the words "Notwithstanding anything contained in this Act, if", the word "Where" shall be substituted;
 - (ii) in sub-section (2), in the second proviso, for the words, brackets and figures "amount of penalty leviable under sub-section (1) of Section 129", the words "penalty equal to hundred per cent of the tax payable on such goods" shall be substituted;
 - (iii) sub-section (3) shall be deleted.

Substitution of Section 151.

13. For Section 151 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Power to call for information.

"151. The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and is such manner as may be specified therein.".

Amendment of Section 152.

- 14. In Section 152 of the principal Act,
 - (i) for sub-section (1), the following sub- section shall be substituted, namely:—
 - "(1) No information with respect to any matter given for the purpose of Section 150 or Section 151 shall, without the previous consent in writing of the concerned person or his authorized representative, be published in such manner so as to enable such particulars to be identified as referring to a particular person and no such information shall be used for the purpose of any proceedings under this Act, without giving an opportunity of being heard to the person concerned.";
 - (ii) sub-section (2) shall be deleted.

Amendment of Schedule II.

15. In Schedule II to the principal Act, paragraph 7 shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.